कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्वालियर (म.प्र.)

:: केन्टीन संचालन हेतु निविदा आमंत्रण सूचना ::

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय परिसर, ग्वालियर में गेट नं–04 के पास स्थित भूमि पर अस्थायी केंटीन बनाकर संचालन हेतु इच्छुक संस्थाओं, व्यक्तियों एवं कंपनियों से निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। केंटीन संचालक इस निविदा के प्रकाशन के दिनांक से 26/12/2024 तक जिला न्यायालय ग्वालियर के नजारत अनुभाग से अप्रतिदेय (नॉन रिफंडेबल) आवेदन शुल्क 1,000/– (एक हजार रूपये) का डीडी/नगद जमा कर अनुबंध की शर्तें एवं आवेदन प्रारूप प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरे हुए निविदा आवेदन पत्र दिनांक 26/12/2024 तक जिला न्यायालय ग्वालियर के कार्यालय में स्वयं/डाक के माध्यम से जमा किये जा सकते हैं। निविदा दिनांक 28/12/2024 को दोपहर 2.00 बजे निविदाकर्ताओं/अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगीं। निविदा की शर्तें एवं सम्पूर्ण जानकारी म0प्र0 उच्च न्यायालय की बेवसाईट www.mphc.gov.in एवं www.tenders.gov.in तथा जिला न्यायालय ग्वालियर की बेवसाईट www.gwalior.dcourts.gov.in पर भी उपलब्ध है, वहां से भी डाउनलोड की जा सकती है।

19/12/2024

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ग्वालियर

कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्वालियर (म.प्र.)

केंटीन संचालन का स्थान :– जिला न्यायालय परिसर, ओहदपुर, न्यू कलेक्ट्रेट के पास, ग्वालियर के गेट क्र.–04 के पास स्थित करीबन 25X70=1750 वर्गफीट रिक्त भूमि पर

निविदा फॉर्म

प्रथम पक्ष :–निविदाकर्ता का नाम ....

पता –..

मोबाईल नं. ....

आधार कार्ड नं...

पेन कार्ड नं..

उक्त कार्य का अनुभव ....

संस्था का शॉप एक्ट का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र ....

जीएसटी प्रमाण पत्र ....

एफ.ए.एस.एस.आई से फूड लायसेंस...

पी. एफ एवं ई.एस.आई. रजिस्ट्रेशन ....

प्रस्तावित अनुबंध राशि (शब्दों एवं अंको में)................................

द्वितीय पक्ष :– जिला रजिस्ट्रार,
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर

––00––

निविदा शर्तें

जिला न्यायालय ग्वालियर परिसर के गेट नं.–04 के पास स्थित रिक्त भूमि पर स्वयं के व्यय पर अस्थायी केंटीन का निर्माण कर संचालन हेतु निविदाकर्ता से 03 वर्ष की अवधि हेतु निर्धारित शर्तो के अधीन निविदा आमंत्रित की जाती है, जो निम्नानुसार है :–

1– निविदा अनुबंध हेतु सीलबंद निविदा दिनांक 26 / 12 / 2024 तक

कार्यालयीन समय पर स्वीकार की जावेगी। इसके पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

2. नवीन जिला न्यायालय परिसर के गेट नं.–04 के पास स्थित रिक्त भूमि करीबन 25X70=1750 वर्गफीट एरिया पर स्वयं के व्यय पर केन्टीन का निर्माण पूर्णतया अस्थायी रूप से करना होगा।

3. उक्त केंटीन 03 वर्ष के लिये लीज पर दी जायेगी, जिसका न्यूनतम् मासिक किराया राशि रूपये 20,000/– (बीस हजार) रूपये प्रतिमाह 10 तारीख तक डी.डी. के माध्यम से नजारत अनुभाग में जमा करना होगा। उसके पश्चात् 10 प्रतिशत राशि की वृद्धि की जाकर पुनः .संचालन अवधि को कार्य संतोषजनक पाये जाने पर बढाया जावेगा।

4. निविदाकर्ता को निविदा फॉर्म के साथ रूपये 50,000/– (पचास हजार रूपये) की जमानत, राशि जिला न्यायाधीश, ग्वालियर को देय डिमांड ड्राफ्ट/एफडीआर के रूप में प्रस्तुत करना होगी। सफल निविदाकर्ता के अतिरिक्त शेष निविदाकर्ताओं को उक्त अमानत राशि का डिमांड ड्राफ्ट/एफडीआर लौटा दिया जायेगा।

5. केन्टीन में शुद्ध गुणवत्ता की सामग्री का वितरण किया जावेगा। स्वच्छता व साफ–सफाई का पूर्णतः पालन किया जावेगा।

6. केन्टीन में मांस–मदिरा, तम्बाकू, गुटका का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

7. निविदाकर्ता के पास शॉप एक्ट के अंतर्गत फर्म का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।

8. निविदाकर्ता के पास फर्म का जी.एस.टी रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।

9. निविदाकर्ता के पास फर्म का एफ.ए.एस.एस.आई से फूड लायसेंस होना अनिवार्य है।

10. निविदाकर्ता फर्म के पास केटरिंग क्षेत्र में 02 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

11. निविदाकर्ता फर्म के पास पी.एफ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।

12. निविदाकर्ता फर्म के पास पी.एफ एवं ई.एस.आई रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।

13. केंटीन संचालन के कारण आवागमन बाधित नही होना चाहिए।

14. न्यायालय परिसर की सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जावेगा तथा गेट नं.–04 के

आगे परिसर की ओर अस्थायी गेट बनाना होगा जो सांय 6 बजे के बाद संचालनकर्ता को बंद करना होगा।

15. केंटीन में विद्युत कनेक्शन स्वयं के व्यय पर लेना होगा।

16. सामग्री के गुणवत्ता पूर्ण न होने तथा असामाजिक गतिविधि के संचालन की तथ्यात्मक शिकायत प्राप्त होने तथा प्रमाणित होने की दशा में लीज निरस्त कर दी जायेगी।

17. लीज निरस्त होने पर अस्थायी केंटीन का निर्माण स्वयं के व्यय पर हटाना होगा।

18. खाद्य सामग्री की दरों की सूची निविदा के साथ संलग्न की जायेगी।

19– निविदाकर्ता द्वारा खाद्य सामग्री विक्रय की दर द्वितीय पक्ष से अनुमोदित कराई जावेगी, ऐसी दर बाजार दर से अधिक नहीं होगी एवं अनुमोदित दरों पर ही मानक स्तर की खाद्य सामग्री विक्रय की जावेगी। न्यायालयीन कर्मचारियों हेतु खाद्य सामग्री की किफायती दरों में रियायत कर सूची अध्यक्ष न्यायिक कर्मचारी संघ की ओर कर्मचारीगण को प्रसारित किये जाने हेतु प्रेषित की जायेगी।

20– विक्रय योग्य वस्तुओं की दरें केंटीन परिसर में सदृश्य भाग पर प्रदर्शित करने का उत्तरदायित्व भी प्रथम पक्ष का होगा।

21– केंटीन संचालन में व्यवधान आने की स्थिति में द्वितीय पक्ष का कोई दायित्व नहीं रहेगा।

22– अनुबंध अवधि में जल संयोजन हेतु अनुमति पक्ष क्रमांक 2 द्वारा नियमानुसार दी जा सकेगी, जिसका व्यय निविदाकर्ता को ही वहन करना होगा।

23– सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा फॉर्म में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन किये जाने संबंधी अनुबंध निर्धारित प्रारूप पर 500/– रूपये के स्टाम्प शुल्क पर स्वयं के व्यय से निष्पादन किया जावेगा।

24– केंटीन परिसर या उसका कोई भाग उपकिरायेदारी आदि पर या अन्यथा हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा।

25– केन्टीन संचालनकर्ता द्वारा बंद निविदा के साथ पहचान–पत्र जैसे मतदाता परिचय पत्र/ड्राइविंग लायसेंस/आधार कार्ड/पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।

26– निविदा फॉर्म कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर से कार्यालयीन समय पर दिनांक 26/12/2024 तक 1,000/– (एक

हजार) रूपये का डीडी/नगद जमा कर अनुबंध की शर्तें एवं आवेदन प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए निविदा आवेदन पत्र दिनांक 26/12/2024 तक जिला न्यायालय ग्वालियर के कार्यालय में स्वयं/डाक के माध्यम से जमा किये जा सकते हैं। निविदा दिनांक 28/12/2024 को दोपहर 2.00 बजे निविदाकर्ताओं/अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगीं। निविदा की शर्तें एवं सम्पूर्ण जानकारी म0प्र0 उच्च न्यायालय की बेवसाईट www.mphc.gov.in एवं www.tenders.gov.in तथा जिला न्यायालय ग्वालियर की बेवसाईट www.gwalior.dcourts.gov.in पर भी उपलब्ध है, वहां से भी डाउनलोड की जा सकती है।

27— निविदा से संबंधित आवश्यक जानकारी हेतु जिला नाजिर, नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय ग्वालियर से उनके दूरभाष नं. 9826586446 पर संपर्क किया जा सकता है।

18/12/2024

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर मय नाम

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ग्वालियर